तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 38/2022 (2022/112) अनवान रामरख वगैरा बनाम अमराराम वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.03.2026	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 103 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 210 रकबा 2.1044 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 214 रकबा 1.0684 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489 रकबा 3.5289 हैक्टेयर ग्राम खुड़ाला तहसील लूणी (वर्तमान तहसील झंवर) जिला जोधपुर मे आयी हुई है। चुंकी मूल वाद संख्या 39/2022 (2022/105) अनवान रामरख वगैरा बनाम अमराराम वगैरा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 23.03.2026 को प्राथमिक डिकी आदेश मय डिकी पर्चा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में अब कोई कार्यवाही होना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 9 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि खसरा नम्बर 103 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 210 रकबा 2.1044 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 214 रकबा 1.0684 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489 रकबा 3.5289 हैक्टेयर ग्राम खुड़ाला तहसील लूणी (वर्तमान तहसील झंवर) जिला जोधपुर में उभयपक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हँसमुख कुमार) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	